

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पाँक्सो अधिनियम औरैया।

दण्ड प्रकीर्ण सं०-119/2026

कृष्णा उर्फ शानू तिवारी

प्रति

राज्य।

आदेश

दिनांक-24.08.2026

दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या-119/2026 कृष्णा उर्फ शानू तिवारी प्रति राज्य प्रस्तुत हुआ। पुकार करायी गयी। पुकार पर प्रार्थी/आवेदक व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है।

लंच बाद पुनः दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र पर पुकार करायी गयी, किन्तु फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः ऐसी स्थिति में दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं०-119/2026 कृष्णा उर्फ शानू तिवारी प्रति राज्य अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),
औरैया।